उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
प्रधान कार्यालय : ... मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 1088/प्रशासनिक अनुभाग – प्रबन्ध निदेशक आदेश /12 दिनांक 21/05/10

// कार्यालय–ज्ञाप //

शासनादेश संख्या 457/उन्तीस(1)/2010–(35 अधि0)/07, दिनॉक 17.05.2010 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप एतद् द्वारा उक्त सेवाविनियमावली, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अभिलेख/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित की जाती है।

ह0/–
(भजन सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री (पेयजल), उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव (पेयजल), उत्तराखण्ड शासन को सचिव (पेयजल) महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/गढ़वाल/कुमाऊँ), उ0पे0 निगम, देहरादून/पौड़ी/नैनीताल।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
8. प्रधान कार्यालय के समस्त महाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
9. अध्यक्ष/महामंत्री, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कर्मचारी महासंघ, देहरादून।
10. अधिष्ठान अनुभाग।
11. गार्ड फाईल।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

20/5/10
(वी0सी0 गर्ग)
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

Joshi

संख्या 457/उन्तीस (1)/2010-(35 अधि0)/07

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक 17 मई, 2010

विषय : उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक: 3164/उत्तराखण्ड शासन दिनांक: 08.09.2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय के शासन द्वारा अनुमोदित "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010" की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः कृपया उक्त सेवा विनियम के प्रख्यापन की कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

संख्याः 1157/उन्तीस(1)/2010-(35 अधि0)/2007 दिनांकः 17 मई, 2010

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा 97 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय में जारी पूर्व आदेशो का अधिक्रमण करके राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उत्तराखण्ड पेयजल निगम, अपने लिपिकीय सेवा में उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा के पदों पर भर्ती तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतन एवं सेवा शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रबृत होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है।

परिभाषायें 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में, कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली मेः–

(क) "संविधान" से भारत का 'संविधान' अभिप्रेत है ;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 'भारत का संविधान' के भाग दो के अनुच्छेद 5 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाये ;

(ग) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(घ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(ङ) "निगम" से उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है ;

(च) "अध्यक्ष" से अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है ;

(छ) "प्रबन्ध निदेशक" से प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है ;

(ज) "वित्त निदेशक" से वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है ;

(झ) "मुख्य अभियन्ता" से मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पौड़ी/नैनीताल एवं मुख्य अभियन्ता (निर्माण), देहरादून उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है ;

(ञ) "नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य अभियन्ता मुख्यालय, अभिप्रेत है ;

(ट) "चयन समिति" से इस विनियमावली के विनियम 17(1) तथा 18(1) के अन्तर्गत गठित चयन समिति अभिप्रेत है ;

(ठ) "सेवा का सदस्य" से इस विनियमावली के या इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त विनियमों या आदेशो के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ड) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमो के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक–अनुदेशों द्वारा तत्समय–विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ढ) "सेवा" से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सवंर्ग 'ग' सेवा, अभिप्रेत है ;

(ण) "भर्ती का वर्ष" से किसी चयन वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है ;

(त) "मण्डल" से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, के अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक के कार्यालय अभिप्रेत है ;

(थ) "शाखा/इकाई" से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय अभिप्रेत है ;

(द) "छंटनीशुदा कर्मचारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है:–

(एक) जिसने राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन अथवा निगम में किसी पद पर स्थायी, अस्थायी रूप से, मौलिक रूप से, कम से कम एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए निरन्तर सेवा की हो,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नही होगा।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग।

4. (1) सेवा में सदस्य संख्या और उसमें विभिन्न श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी निगम द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय–समय पर अवधारित की जायें।

(2) जब तक उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें विभिन्न श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट (एक), (दो) एवं (तीन) में दी गई है।

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति–प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकते है या उसे आस्थगित रख सकते है, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) निगम ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन राज्य सरकार की पूर्वानुमोदन से कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत।

5. (एक) लिपिक वर्ग में:–

सेवा में कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पदों पर भर्ती निम्न श्रोतों से की जायेगी।

(क) 75 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) 10 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग के समूह 'घ' सेवा के कर्मचारी, जो इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं 5 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, में से चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, जिसमें सामान्य हिन्दी में 50 अंक की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी।

(ग) 15 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग के समूह 'घ' सेवा के मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारी जो हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हों, और जिन्होंने इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, जिसमें सामान्य हिन्दी में 50 अंक की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी।

(घ) लिपिक सवंर्ग के अन्य पदों (प्रवर सहायक–सह वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर, मुख्य सहायक एवं कंसोल आपरेटर, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–I, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) पर भर्ती परिशिष्ट (एक) के स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट–स्रोतों से की जायेगी।

(दो) आशुलिपिक वर्ग:–

(क) सेवा में आशुलिपिक (ग्रेड–2) के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

(ख) आशुलिपिक सेवा के अन्य पदों (आशुलिपिक ग्रेड–ग्रेड–I, वैयक्तिक सहायक ग्रेड–II, वैयक्तिक सहायक ग्रेड–I) पर पदोन्नति, परिशिष्ट (दो) के स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट स्रोतों से की जायेगी।

(तीन) स्टोर कीपर वर्ग:–

(क) सेवा में स्टोर कीपर के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

(ख) स्टोर कीपर वर्ग में सेवा के अन्य पदों (स्टोर उप अधीक्षक, स्टोर अधीक्षक) पर पदोन्नति, परिशिष्ट (तीन) के स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट स्रोतों से की जायेगी।

(चार) कैमिस्ट वर्ग:–

सेवा में कैमिस्ट के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

आरक्षण।

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियो के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता।

7. सेवा में भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि; अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफीका के देशों केनिया, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो;

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति हो, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

(घ) परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात सेवा में तभी रहने दिया जा सकता है जब कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लें।

आयु। 8. समूह 'ग' के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। जिन समूहों में शैक्षिक योग्यता स्नातक हो, उन समूहों के लिये शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिये ;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समय–समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा उतनी बढ़ायी जा सकेगी जैसा कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

शैक्षिक अर्हतायें। 9. (1) <u>कनिष्ट सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर</u>

(क) सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है,

(ख) अभ्यर्थी की हिन्दी (देवनगरी लिपि) तथा अंग्रेजी भाषा मे कम्प्यूटर पर टंकण की न्यूनतम गति 4000 Key Depressions प्रतिघण्टा होना आवश्यक है।

(ग) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान, उस पर कार्य करने की क्षमता।

(2) <u>आशुलिपिक (ग्रेड–2)</u>

आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ–साथ हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कम्प्यूटर पर हिन्दी (देवनगरी लिपि) टंकण में 4000 Key Depressions प्रतिघण्टा होना आवश्यक है।

(3) <u>स्टोर कीपर</u>

(क) सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है, तथा

(ख) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर पर हिन्दी (देवनगरी लिपि) टंकण में 4000 Key Depressions प्रतिघण्टा की गति आवश्यक होगी।

(4) कैमिस्ट

(क) सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रसायन शास्त्र में स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है, तथा

(ख) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर पर हिन्दी (देवनगरी लिपि) टंकण में 4000 Key Depressions प्रतिघण्टा की गति के साथ अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक होगा।

अधिमानी अर्हता। 10. ऐसे अभ्यर्थी को अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा यदि ;

(1) आशुलिपिक के पद पर भर्ती हेतु अंग्रेजी आशुलिपि एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान हो,

(2) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

(3) नेशनल–कैडेट–कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,

चरित्र। 11. (1) सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र सर्वथा ऐसा होना चाहिए जिससे वह सेवायोजन के लिए उपयुक्त हो। नियुक्ति–प्राधिकारी इस विषय में अपना समाधान करेगें।

(2) सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने चरित्र के सम्बन्ध में उस शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य जिससे उसने अन्तिम बार शिक्षा पायी हो तथा राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के दो राजपत्रित अधिकारी जो उनके संबंधी न हो, का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

टिप्पणीः– केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणधीन किसी निगम/निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगें। नैतिक अधमता के, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नही होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति। 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा कोई पुरूष जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हों अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र न होगी ;

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता। 13. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जबकि उसका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यो के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थी की सेवा में अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व, उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4, के मूल नियम 10 के अधीन संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिंकारी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण–पत्र अपेक्षित नही होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी यह समझता हो कि किसी कर्मचारी की, सेवा अवधि में किसी भी समय, चिकित्सा परीक्षा करवाना निगम के हित में होगा तो वह उसके लिए आदेश कर सकता है तथा यदि कर्मचारी इस परीक्षा के आधार पर अस्वस्थ घोषित कर दिया जाये, तो ऐसे कर्मचारी की सेवा समाप्ति की जा सकती है।

भाग पॉच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा। 14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

प्रतियोगिता 15. परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्य विवरण और निगम नियुक्ति अधिकारी द्वारा शासन की वर्तमान नीति को दृष्टिगत रखते हुए समय–समय पर निहित किये जायेंगे।

शुल्क। 16. सीधी भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा आयोजित किये जाने से संबंधी वह सभी शुल्क देगें जो समय–समय पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया। 17. (1) कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर/आशुलिपिक (ग्रेड–2)/स्टोर कीपर/कैमिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होगें:–

(एक)	मुख्य अभियन्ता/नियुक्ति प्राधिकारी	– अध्यक्ष
(दो)	अधीक्षण अभियन्ता	– सदस्य
(तीन)	अधिशासी अभियन्ता	– सदस्य
(चार)	समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग का एक अधिकारी	– सदस्य

(2) सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कम से कम दो व्यापक प्रचार–प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी और ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें जिनके नाम उत्तराखण्ड में स्थित किसी एक सेवायोजन कार्यालय में विज्ञापन जारी किये जाने की तिथि से पूर्व पंजीकृत हों।

(3) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थीयों की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions with Multiple Choice) की रखी जायेगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन विषय से सम्बन्धित प्रश्न होगें।

लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी।

(4) कैमिस्ट के पद पर भर्ती हेतु उपनियम (3) के साथ–साथ संबंधित विषय से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

(5) प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 01 अंक दिया जायेगा व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(6) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की 'प्रश्न बुकलेट' परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(7) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(8) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।

(9) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीकरण के पश्चात् चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को हिन्दी आशुलिपि परीक्षा एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होने लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। हिन्दी आशुलेखन के प्रतिलेख/कम्प्यूटर टंकण परीक्षा 50 अंको की होगी। प्रत्येक एक रिक्त पद हेतु 06 अभ्यर्थी परीक्षा हेतु बुलाये जायेगें। हिन्दी आशुलिपि की पॉच मिनट के लिए गद्यांश का श्रुतलेख होगा, जिसमें 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक होगा। प्रतिलेखन कम्प्यूटर पर करना होगा तथा प्रत्येक अशुद्धि हेतु 1/4 अंक की कटौती होगी। कम्प्यूटर पर न्यूनतम 4000 Key Depressions प्रति घण्टे की दर से टंकण करने वाले अभ्यर्थी ही चयन हेतु अर्ह होगें।

(10) चयन समिति प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा एवं हिन्दी आशुलिपि के प्रतिलेखन/कम्प्यूटर पर टंकण एवं अन्य मूल्यांकन से प्राप्त कुल अंको द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में योग्यता सूची बनायेंगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर हो तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को योग्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि ऐसे दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में भी बराबर अंक प्राप्त किये हो तो अधिक आयु के अभ्यर्थी को योग्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति द्वारा चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(11) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा, छटनी शुदा कर्मचारी के अंक तथा आशुलिपि/टंकण परीक्षा के अंको को वर्गीकृत करते हुए) अधिकतम अंक के साथ अवरोही क्रम में

(Descending Order) उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर रखा जायेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया।

18. (1) सेवा में लिपिकीय सेवा के पदोन्नति के सभी पदों पर भर्ती हेतु एक चयन समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा :–

(एक) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), देहरादून – अध्यक्ष
(दो) महाप्रबंन्धक (भूजल एवं सर्वेक्षण), देहरादून। – सदस्य
(तीन) महाप्रबन्धक (प्रशासन), देहरादून। – सदस्य
(चार) अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), देहरादून–सदस्य सचिव
(पांच) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़ी जाति से कोई अधिकारी नामित किया जायेगा जो अधिशासी अभियन्ता के पद से कम न हो अतिरिक्त सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा। – सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और पदोन्नति हेतु विचाराधीन कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं एवं उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों, जो उचित समझे जायें के साथ चयन समिति के समक्ष प्रोन्नति पर विचार हेतु रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और गुणावगुण के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों का चयन करेगी।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे अनुमोदन हेतु विभागध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

भाग छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति की प्रकिया।

19. मौलिक रूप से नियुक्त पदों पर नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्नानुसार करेगें:–

(1) नई नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं आशुलिपिक ग्रेड–2 के लिए विनियम 16 व 17 द्वारा तैयार की गयी सूची में से विभागाध्यक्ष द्वारा वरीयता क्रम में अभ्यर्थियों को प्रधान कार्यालय, मुख्य अभियन्ता, मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय,

महाप्रबन्धक कार्यालय मण्डल कार्यालय एवं शाखा/इकाई में नियुक्त करने हेतु आवंटित किया जायेगा।

(2) प्रधान कार्यालय, मुख्य अभियन्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, मण्डल कार्यालय एवं शाखा/इकाई कार्यालय में नियुक्ति/पदोन्नति/पदस्थापना सम्बन्धी आदेश, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) के स्तर से जारी किये जायेगें।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित किया जायेगा।

परिवीक्षा।

20. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त किये गये व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनॉक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये ;

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन-व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है तो उसे सेवा से पृथक अथवा उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित, यथास्थिति, किया जा सकता है।

(4) उपर्युक्त उपनियम (3) के अधीन, यदि किसी परिवीक्षाधीन-व्यक्ति को सेवा से पृथक या प्रत्यावर्तित किया जाये, वह किसी भी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि में संगणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण।

21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की नियुक्ति को, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, यथास्थित स्थाई कर दिया जायेगा, यदि:-

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाये,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित कर दी जाये, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थाई किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता। 22. (1) सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा–संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही तिथि को नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में दिये गये हों।

(2) यदि सेवा के किसी पद पर भर्ती पदोन्नति द्वारा दो या उससे अधिक विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से की जाती है तो इस प्रकार से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निम्न प्रकार से निर्धारित की जायेगी।

(क) सेवा के एक ही श्रेणी के व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रखी जायेगी जो कि उक्त श्रेणी में उन्हें प्राप्त हुई हो।

(ख) यदि एक वर्ग से किसी श्रेणी के पदों पर दो या उससे अधिक व्यक्ति नियमित रूप से एक ही दिन नियुक्त किये जायें तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उस योग्यता सूची के अनुसार जिसके आधार पर वह नियुक्त किये गये हैं अवधारित की जायेगी। यदि कोई योग्यता सूची विद्यमान न हो तो उसकी परस्पर ज्येष्ठता उस वर्ग के पदों पर कुल सेवाकाल के अनुसार की जायेगी।

(ग) प्रत्येक पद श्रेणी में पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उस तिथि को अथवा उसके बाद सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों से ऊपर रखे जायेगें किन्तु उस तिथि से पूर्व सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से नीचे रखे जायेगें।

भाग सात– वेतन इत्यादि

वेतनमान। 23. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान वह होगा जो निगम/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस विनियमावली में प्रचलित वेतनमान परिशिष्ट (एक), (दो) एवं (तीन) के स्तम्भ–4 में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन। 24. विनियमों/नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, को निर्धारित वेतनमान का आरम्भिक मूल वेतन तथा प्रचलित भत्ते दिये जायेंगे, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो ;

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये जो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नही की जायेगी, जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन। 25. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू विनियमों/नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी अन्य संस्तुति पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन। 26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें, जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हैं।

सेवा शर्तो में शिथिलता। 27. जहॉ निगम का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के परिवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है, वहॉ वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिलुप्त या शिथिल कर सकता है।

राज्य की सुरक्षा। 28. इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, जहॉ राज्यपाल का यह समाधान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित में या आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी की (चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई) सेवाओं को, बिना किसी जॉच के समाप्त करना समीचीन है और अधिकारी या कर्मचारी को पदच्युत करने या सेवा से हटाने का तद्नुसार निगम को निर्देश दे, वहॉं निगम उसकी सेवाओं को इस प्रकार समाप्त कर देगा और ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को इस प्रकार सेवा समाप्त किये जाने के लिए, किसी प्रतिकर का कोई अधिकार नही होगा।

वेतन छुट्टी भत्ते और सेवा की अन्य शर्तो का विनियम। 29. इस विनियमावली में, जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, सेवा के सदस्यों का वेतन भत्ता, उपादान, पेंशन, छुट्टी, शास्ति (Punishment) का आरोपण और सेवा की अन्य शर्ते, उन नियमों, विनियमो या आदेशो द्वारा विनियमित होगी, जो राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवाओं पर सामान्यता लागू होते हैं।

व्यावृत्ति

30. इस विनियमावली की किसी बात कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनको सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

परिशिष्ट–(एक)

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010

(देखिये नियम 4, 5 एवं 22(2))

"लिपिकीय सेवा (Ministerial Cadre)"

क्र0 सं0	पद	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती का श्रोत
1	2	3	4	5
01	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	223	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	राज्य सरकार में लागू व्यवस्था के अनुसार 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा एवं 15 प्रतिशत समूह–'घ' के हाईस्कूल उत्तीर्ण कर्मचारियों तथा 10 प्रतिशत समूह 'घ' के इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कार्मिकों, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
02	प्रवर सहायक सह वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	160	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटरों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
03	मुख्य सहायक एवं कन्सोल आपरेटर	80	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक–सह वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटरों जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक जिन्होने संवर्ग में कुल 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, मे से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

04	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–।।	43	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक–कन्सोल आपरेटरों जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक जिन्होनें संवर्ग में कुल 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
05	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–।	13	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी–ग्रेड–2 जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 जिन्होनें संवर्ग में कुल 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, मे से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
06	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी–ग्रेड–1 जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 जिन्होनें संवर्ग में कुल 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

परिशिष्ट—(दो)

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010

देखिये नियम 4, 5 एवं 22(2)

"आशुलिपिक सवंर्ग"

क्र0 सं0	पद	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती का श्रोत
1	2	3	4	5
01	आशुलिपिक ग्रेड–2	34	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	सीधी भर्ती
02	आशुलिपिक ग्रेड–1	20	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों ग्रेड–2 में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
03	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	10	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों ग्रेड–1 में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष अथवा इस सवंर्ग में कुल 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुप्युक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
04	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	04	रू0 9300–34800 रू0 4200	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 3 वर्ष अथवा संवर्ग में कुल 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

परिशिष्ट–(तीन)

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010

देखिये नियम 4, 5 एवं 22(2)

"स्टोर कीपर सवंर्ग"

क्र0 सं0	पद	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती का श्रोत
1	2	3	4	5
01	स्टोर कीपर	02	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	सीधी भर्ती
02	स्टोर उप अधीक्षक	02	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्टोर कीपर में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
03	स्टोर अधीक्षक	01	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्टोर उप अधीक्षक में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 7 वर्ष अथवा इस सवंर्ग में कुल 14 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
04	कैमिस्ट	02	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	सीधी भर्ती।